


## कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, एटा

### नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, एटा परिसर में उपलब्ध कबाड़ सामग्री की नीलामी दिनांक 31.05.2022 (मंगलवार) को दोपहर 02.00 बजे नियत है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म जो कबाड़ सामग्री जैसे मेज स्टील 01, थूकदान स्टैण्ड 21, गीजर पुराना 01, घास काटने की मशीन 02, आर0 ओ0 पुराना 01, ट्यूबेल मोटर 01, मेज लकड़ी 04, मेज छोटी 01, स्टील बेंच 01, टाइपराइटर 52, इलै0 टाइपराइटर 01, फैंक्स मशीन 02, अग्निशमन यंत्र 22, ए.सी. पुराने 06, फोटोस्टेट मशीन 01, स्टील अलमारी 04, अलमारी लकड़ी 03, सोफासेट 3 फीट 03, रैक 01, कूलर 01, कुर्सी स्टील पाईप 23, कुर्सी लकड़ी 64, टी टेबिल 01, बेंच लकड़ी 04, पुराना लोहा, बिजली के तार पुराने, पुराने वास वेसन व बाथरूम सीट, सीलिंग फैन 90, पुराने टेबल फैन 02, हन्डा 02, समरपम्प 02, कूलर स्टील (लोहा) 03, हाथ से छापने वाली मशीन 01, कुर्सी लोहा 01, सोफा कुर्सी 05, डायस कुर्सी लकड़ी 01, सोफा सेट लकड़ी 02 को खरीदने के लिए इच्छुक हों, वह नीलामी में नियत तिथि व समय पर उपस्थित होकर बोली लगाने के लिए आमंत्रित है। प्रत्येक कबाड़ सामग्री आइटम की नीलामी अलग-अलग होगी। नीलामी में शामिल होने वाले व्यक्ति को बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोली बोलने की जमानत धनराशि अलग-अलग जमा करनी होगी तदोपरान्त वह बोली में भाग ले सकता है। बोली जिसके पक्ष में होगी उस व्यक्ति/फर्म को बोली की धनराशि का आधा भाग तुरन्त जमा करना होगा। उपरोक्त कबाड़ सामग्री जिनकी नीलामी होनी है, उनको किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, एटा के कार्यालय से सम्पर्क कर देखा जा सकता है। यदि कबाड़ सामग्री की नीलामी पर जो भी जी.एस.टी. देय होगी तो वह नीलामी लेने वाले व्यक्ति/फर्म को भुगतान करना होगा। नीलामी स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जनपद न्यायाधीश, एटा को होगा।



प्रभारी अधिकारी,  
केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय,  
एटा।

प्रतिलिपि केन्द्रीय नाजिर द्वारा निम्नलिखित बोर्डों पर चस्पा करने हेतु-

1. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, एटा।
2. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, एटा।
3. नोटिस बोर्ड, जिला परिषद, एटा।
4. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका, एटा।
5. नोटिस बोर्ड, विकास भवन, एटा।
6. नोटिस बोर्ड, बस स्टैण्ड, एटा।
7. वेबसाइट, जनपद न्यायालय, एटा।
8. वेबसाइट, उच्च न्यायालय, एटा।